HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous II[nd]Bail Application No. 13073/2026
CNR: RJHC020805682026 | URN: CRLMB / 24167U / 2026

Balmukund @ Pappu Gurjar Son of Shambu Gurjar, Aged About 40 Years, Resident of Indergarh (Satkudiya) Police Station Vijay Nagar, District Beawar
(Presently Confined at Central Jail Ajmer)

----Accused-Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री सुशील पुजारी, अधिवक्ता
For Respondent(s)	:	श्री ओंकार सिंह राजपुरोहित, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

07/09/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना विजय नगर, जिला ब्यावर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 241/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 190, 329(3), 126(2), 115(2), 352, 103(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 24.02.2026 के माध्यम से अस्वीकार कर खारिज किया गया था।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने चांदमल और अमरी देवी के कोई चोट नहीं पहुंचाई है। आहत अमरी देवी घटना की चक्षुदर्शी साक्षी पी.ड.–9 के रूप में परीक्षित हुई है और उसने अपने बयान में उसके अलावा अन्य किसी व्यक्ति का घटनास्थल पर उपस्थित नहीं होना बताया है, उसके साथ प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मारपीट

किया जाना नहीं बताया गया है तथा वह अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुई है। साक्षी पी.ड.–2 जगदीश जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी है वह भी अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 16.07.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि यह सही है कि प्रकरण की चक्षुदर्शी साक्षी पी.ड.–9 अमरी देवी अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हो चुकी है, किन्तु प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में दर्ज 08 अन्य आपराधिक प्रकरणों एवं प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रकरण में परिवादी पी.ड.–2 जगदीश अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुआ है एवं प्रकरण की चक्षुदर्शी साक्षी पी.ड.–9 अमरी देवी भी अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुई है, उसने अपने बयान में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मृतक चांदमल की मृत्यु कारित किये जाने के संबंध में एवं उसके विनिर्दिष्ट चोटें पहुंचाने के तथ्य नहीं कहे हैं। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 16.07.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में 8 अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं, तथापि Prabhakar Tewari Vs. The State of Uttar Pradesh; AIRONLINE 2020 SC 96 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित सिद्धांत के अनुसार केवल मात्र पूर्व में आपराधिक प्रकरण लंबित होने के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी

किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **बालमुकुन्द उर्फ पप्पू गुर्जर पुत्र शंभू गुर्जर** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Policy Strategy for Grant of Bail, In Re; (2024) 10 SCC 685 विनिश्चय में अभिनिर्धारित सिद्धांतों की पालना में इस आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय एवं संबंधित कारागृह को जरिये ईमेल प्रेषित की जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

8/AKSHAY KUMAR PAREEK/P.A.